

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला

अनुमति वाद संख्या-904/19-20

कुमुद पॉल ट्रिफ़ि कोरु  
बनाम

आवेदक

विनोद भग्न

विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती कुमुद पॉल ट्रिफ़ि  
विनोद कमल ट्रिफ़ि पिता/प्रति स्व. दानि एल. ट्रिफ़ि निवास,  
ग्राम मालदम, वही थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित  
विवरणी की भूमि बिकी करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम  
1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के  
आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

| राजस्व<br>ग्राम | थाना का नाम<br>एवं संख्या | खाता<br>संख्या | प्लॉट<br>संख्या | रकबा<br>(एकड़)         |
|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| मीमरोली         | गुमला<br>42               | 51             | 184             | 1.83 एंसे<br>0.10 एंसे |
| (दस डिसेमील)    |                           |                |                 |                        |

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित क्रेता  
श्री/श्रीमती विनोद भग्न पिता/प्रति मिरवराम भग्न  
निवासी ग्राम डेविडीह थाना गुमला जिला  
गुमला को राशि रुपये 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार/-) पर  
बिकी करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज  
हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत  
नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिकी कर रहे हैं।  
अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम  
ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के  
पत्रांक 31 दिनांक 04/7/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,  
जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिकी करने के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के .....अज्ञेय..... है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी .....गुमला..... के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती कुमुदजोति तिकी को विनीत कुमल तिकी पिता/पति राम चोनिराम तिकी निवासी ग्राम मलदम चही थाना .....गुमला..... जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद द्वारा .....अनुमति..... प्रदान की जाती है।

### भूमि का विवरण

| राजस्व<br>ग्राम | थाना का नाम<br>एवं संख्या | खाता<br>संख्या | प्लॉट<br>संख्या | रकबा<br>(एकड़)               |
|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| नीमटोली         | गुमला<br>42               | 51             | 184             | 1.83 एम्. हे<br>0.10 एम्. हे |

(कुल दस डिलीमरी)

चौहदी - उत्तर- नीज विक्रेता  
पूरब- पी. सी. सी. रोड

दक्षिण- नीज विक्रेता  
पश्चिम- नीज विक्रेता

लेखापित एवं संशोधित

डि. वि. शर्मा  
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गुमला।

डि. वि. शर्मा  
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गुमला।